

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
क्रमांक/एफ-4/23/2021/10-11/1964 भोपाल, दिनांक 15/05/2023
प्रति,

मेसर्स ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड,
प्लॉट नं. 1071, रोड़ नं. 44, जुबली हिल्स,
हैदराबाद-500033

विषय:- Diversion of 301.96 ha forest land for the construction of MP-30 Gandhi Sagar off-stream Pumped Storage Project (1440 MW) by M/s Greenko Energies Private Limited, Hyderabad in Neemuch Forest Division, Neemuch District of Madhya Pradesh State (Online proposal No. FP/MP/HYD/116943/2020)-reg.

संदर्भ:- भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक दिनांक 01.05.2023

-0-

विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार को दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकरण में भारत सरकार द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रभावित वनक्षेत्र के निकट के वनक्षेत्र के संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार कार्यों के लिये योजना तैयार कर राशि जमा नहीं कराई गई है।

आपके द्वारा इस कार्य के लिये पूर्व में 509 हेक्टेयर के लिये रु. 282.80 लाख की राशि जमा करा दी गई है।

प्रकरण में प्रभावित वनक्षेत्र के आस-पास के वनक्षेत्र में संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार कार्यों के लिये 02 टुकड़े क्रमशः 426 हेक्टेयर एवं 143 हेक्टेयर के चयनित किये गये हैं। इन 02 टुकड़ों में तैयार योजना की राशि क्रमशः रुपये 81,32,764 तथा रु.1,33,18,761 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा करे।


(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ-4/23/2021/10-11/1907

भोपाल, दिनांक 12/05/23

प्रति,

मेसर्स ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड,
प्लॉट नं. 1071, रोड़ नं. 44, जुबली हिल्स,
हैदराबाद-500033

विषय:- Diversion of 301.96 ha forest land for the construction of MP-30 Gandhi Sagar off-stream Pumped Storage Project (1440 MW) by M/s Greenko Energies Private Limited, Hyderabad in Neemuch Forest Division, Neemuch District of Madhya Pradesh State (Online proposal No. FP/MP/HYD/116943/2020)-reg.

संदर्भ:- भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक दिनांक 01.05.2023

-0-

विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार को दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत किया गया था।

भारत सरकार द्वारा प्रकरण में वन्यप्राणी संबंधी कार्यों के लिये मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अनुमोदन चाहा है।

वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के संबंध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश को लेख करने पर उनके द्वारा रु. 211.90 लाख की कार्य आयोजना स्वीकृत की है।

आपके द्वारा इस कार्य के लिये रु. 170.50 लाख की राशि पूर्व में ही जमा कर दी है। अतः शेष राशि रु. 41.40 लाख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा करे।



(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-4/23/2021/10-11/1908

भोपाल, दिनांक 12/05/23

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, नीमच, मध्यप्रदेश। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.05.2023 की प्रति संलग्न है। भारत सरकार के पत्र में बिन्दु क्रमांक-2 से संबंधित योजना तत्काल प्रस्तुत करे।

संलग्न:-भारत सरकार का पत्र

दिनांक 01.05.2023



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल